



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269109
CG-DL-E-05012026-269109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 843]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सा .नि.का.929(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, को 2018, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि: - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय पर जारी किए गए आदेशों- के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड - II।	20* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)।	लागू नहीं होता।	18-27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) अभ्यर्थी को- (i) दस मिनट तक अस्सी शब्द प्रति मिनट की दर से श्रुतलेख लिखने में सक्षम होना चाहिए; (ii) पचास मिनट तक अंग्रेजी और पैंसठ मिनट तक हिंदी में कंप्यूटर पर अनुलिपि लिखने में सक्षम होना चाहिए। टिप्पणी : 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

टिप्पणी : 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
--	--	--

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : आमेलन द्वारा तथा/द्वारा या प्रतिनियुक्ति विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा/प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति।
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणीपदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी : बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तम्भ के अधीन (7) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-- (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष; (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — सदस्य; और (3) निदेशक (प्रशासन) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. जे-11012/4/2025-योजना]

आनंद मधुकर, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

G.S.R. 929(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Stenographer Grade II (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Stenographer Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade II.	20*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or

					orders issued by the Central Government).
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12th class pass from a recognised Board; (b) the candidate shall be able to,- (i) take dictation at the rate of eighty words per minute for ten minutes; (ii) transcript English for fifty minutes and Hindi for sixty-five minutes only on computer. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government; (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7).

the vacancy reserved for them.			
--------------------------------	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Chairperson; 2. Joint Director General(Archaeology), Archaeological Survey of India - Member; and 3. Director (Administration) - Member.	Not applicable.

[F. No. J-11012/4/2025-PLANNING]

ANAND MADHUKAR, Addl. Director General (Administration)